में भाग नहीं लिया गया। पत्रावली [illegible] कार्य
दिनांक 21.3.23 को पेश हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही

21.3.23. पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य में भाग नहीं लिया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 09.5.23 को पेश हो।

01.8.23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। न्यायहित में प्रतिवादी अभिभाषक को समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13.3.23 को पेश हो।

03.8.23 पत्रावली आज पेश हुई। वादी मय अभिभाषक, वादी ~~[illegible]~~ उपस्थित। वादी प्रकाश जैन ने अभिभाषक पवन लुहार के हमराह उपस्थित होकर आदेश 23 नियम 01 C.P.C. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता होकर विवाद निपटारा हो जाने के फलस्वरूप वाद को प्रत्याहरित करने बाबत निवेदन किया। वादी की पहचान अभिभाषक

सुध/[illegible]

K.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी

प्रदीप शर्मा

हिमांशु शर्मा

पवन कुमार द्वारा की जाकर अपने मुख इकरार किये गये। इसी अनुक्रम प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 23 नियम 01 C.P.C का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होकर वादीगण द्वारा बाद प्रत्याहरित किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता सह. अभिभाषक द्वारा की गई। अतः प्रकरण में आपसी समझौता हो जाने तथा बाद प्रत्याहरित किया जाने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाकर पत्रावली की ओर से प्रस्तुत आदेश 23 नियम 1 CPC के प्रार्थना-पत्र बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.8.23 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

S.D.O. 2021

प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 124/2021
(147/2010)
तारीख पेशी 18/07/2023

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
न्यायालय गढी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

श्री सुभाषचन्द्र *बनाम* स्व. श्री मोहनलाल के उत्तराधिकारी व अन्य।

वादी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सी.पी.सी.

महोदयजी,

उपरोक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र पेश कर निम्न निवेदन है :–

1. यह कि, वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2097 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2139 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2140 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, कुल खेत 3 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर, वाके गांव अरथुना में स्थित है। उक्त सर्वे नंबर की भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता होकर विवाद समाप्त कर लिया है। वादीगण वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई दादरसी प्राप्त करना नहीं चाहते है।
2. यह कि, सर्वे नंबर 2139 एवं सर्वे नंबर 2140 की भूमि में वादी सुभाषचन्द्र ने अपने 1/2 हित व हिस्से को श्री गुलाबचन्द पंचाल को संयुक्त परिवार का कर्ता एवं खातेदार की हैसियत से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय कर दिया हैं। उक्त सर्वे नंबर में स्वर्गीय मोहनलाल के उत्तराधिकारियों ने अपने 1/2 हित व हिस्से को संयुक्त रूप से एवं परिवार के कर्ता की हैसियत से श्री पंकज पाटीदार को रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रयपत्र के द्वारा विक्रय कर दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण अब उक्त सर्वे नंबर भूमि के खातेदार नहीं होने से विभाजन का दावा निष्प्रभावी हो गया है। वादी सर्वे नंबर 2097 रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कोई दादरसी नहीं चाहते है। सर्वे नंबर 2097 का विभाजन भविष्य में करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते है। वादी दावा को प्रत्याहरित करना चाहता है। वादपत्र प्रत्याहरित होने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।
3. यह कि, खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः निवेदन है कि वादी का दावा प्रत्याहरित करना फरमावें एंव प्रकरण फैसल फरमावें।

दिनांक :– 3/8/23
स्थान :– गढ़ी

सुभाषचन्द्र

पृष्ठांकित आपसी समझौता हो जाने के कारण वाद प्रत्याहरित करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 02/2015
तारीख पेशी 3/8/23

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
न्यायालय गढी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

स्व. श्री गेहरीलाल के उत्तराधिकारी श्री लोकेश व अन्य। **वादीगण**

बनाम

स्व. श्री मोहनलाल के उत्तराधिकारी श्री प्रदीप व अन्य। **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सी.पी.सी.

महोदयजी,

उपरोक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र पेश कर निम्न निवेदन है :–

1. यह कि, इस प्रकरण को श्री सुभाषचन्द्र बनाम श्री मोहनलाल प्रकरण संख्या 147 सन् 2010 के साथ समेकित किया गया है।

2. यह कि, वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2097 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2139 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2140 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, कुल खेत 3 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर, वाके गांव अरथुना में स्थित है। उक्त सर्वे नंबर की भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता होकर विवाद समाप्त कर लिया है। वादीगण वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई दादरसी प्राप्त करना नहीं चाहते है।

2. यह कि, वादीगण वादपत्र को प्रत्याहरित करना चाहते है। वादपत्र प्रत्याहरित होने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

3. यह कि, खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करेंगें।

अतः निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र प्रत्याहरित करना फरमावें एंव प्रकरण फैसल फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 3/8/23
स्थान :– गढ़ी

चूंकि आपसी समझौता हो जाने के कारण वादीगण की ओर से वाद प्रत्याहरित होने के क्रम में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested